

# मेटलाइफ फैमिली इनकम प्रोटेक्टर प्लस

नॉन-लिंकड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग टर्म इश्योरेंस प्लान

## मासिक आय सुरक्षा प्लान

आज आप अपने परिवार के मासिक  
खर्चों का ख्याल रखते हैं।  
कल के लिए भी इसे सुनिश्चित करें।

अपने परिवार के लिए गारंटीशुदा<sup>#</sup> मासिक आय सुनिश्चित करें।



विश्वास<sup>™</sup>  
का सुरक्षा चक्र

## इसके फायदे क्या हैं?

- अधिकतम 20 वर्ष तक आपके परिवार को गारंटीशुदा<sup>#</sup>नियमित मासिक आय
  - पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर आपके प्रीमियम का 110% वापस किया जाएगा अगर प्रीमियम वापसी का विकल्प चुना गया हो
  - 10,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,00,000 रुपये के 5 आसान मासिक आय के विकल्प
  - पॉलिसी खरीदते और आपके परिवार को मासिक आय का भुगतान करते समय, इन दोनों मौकों पर कर लाभ<sup>##</sup> प्रदान किया जाता है
- <sup>#</sup>बशर्ते की सभी प्रीमियम का पूरी तरह भुगतान कर दिया गया हो

जब किराना, बिजली के बिल, बच्चों की फीस, आपकी परिसंपत्तियों पर ईएमआई जैसे आपके सभी खर्च मासिक रूप से आते हैं, तो क्यों न एक ऐसा प्लान लिया जाए जो मासिक लाभ प्रदान करता हो। पेश है मेट फैमिली इनकम प्रोटेक्टर प्लस – जो एक पहले से तय अवधि के लिए मृत्यु लाभ के तौर पर आपके परिवार को गारंटीशुदा<sup>®</sup> नियमित मासिक आय देता है ताकि आपके न रहने पर आपके परिवार को मासिक खर्चों के बोझ से राहत मिले।

- **अधिकतम 20 वर्ष तक आपके परिवार को गारंटीशुदा<sup>®</sup> मासिक आय :** आपके न रहने पर यह प्लान आपके नामिति को चुनी गई मासिक आय प्रदान करता है। नामिति के पास बीमित राशि को एक बार एकमुश्त राशि के रूप में प्राप्त करने का भी विकल्प है।
- **पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर आपके प्रीमियम का 110% वापस किया जाएगा अगर प्रीमियम वापसी का विकल्प चुना गया हो :** आप सिर्फ प्रस्ताव फॉर्म के ट्रॉप विकल्प में सही का चिह्न लगाकर कवर की अवधि के अंत में अपने प्रीमियमों को वापस प्राप्त कर सकते हैं। पॉलिसी समाप्त होने के बाद हम आपके द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम के 110% का वापस भुगतान करते हैं बशर्ते अवधि के दौरान हमने कोई लाभ प्रदान न किया हो।
- **10,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,00,000 रुपये के 5 आसान मासिक आय के विकल्प :** हमने इसे सरल बना दिया है, सिर्फ वह मासिक आय चुनें जो आप अपने बाद अपने परिवार को देना चाहते हैं और मन की शांति प्राप्त करें।
- **पॉलिसी खरीदते और आपके परिवार को मासिक आय का भुगतान करते समय, इन दोनों मौकों पर कर लाभ<sup>##</sup> प्रदान किया जाता है :** आपके द्वारा देय प्रीमियम आय कर कानून, 1961 की धारा 80 सी के तहत कर कटौती के पात्र हैं और अपने परिवार को आप जिस मासिक आय का भुगतान करते हैं वह धारा 10 (10) डी के तहत कर में छूट के पात्र हैं। इसके अलावा, पॉलिसी अवधि के समाप्त होने पर आप 110% प्रीमियम वापसी का लाभ प्राप्त करते हैं उस पर भी आय कर कानून, 1961 की धारा 10 (10) डी के तहत छूट मिलती है।

### प्लान एक नज़र में

विशेषताएँ	सीमाएँ
प्रवेश के समय अधिकतम/न्यूनतम आयु**	25 वर्ष – 60 वर्ष (20 वर्ष की पॉलिसी के लिए 55 वर्ष)
पॉलिसी समाप्ति पर अधिकतम आयु**	75 वर्ष
मासिक आय के विकल्प	10,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये, 75,000 रुपये एवं 1,00,000 रुपये,
प्लान के विकल्प	टर्म कवर एवं प्रीमियम की वापसी के विकल्प सहित टर्म (ट्रॉप)
पॉलिसी अवधि के विकल्प	10 वर्ष                      15 वर्ष                      20 वर्ष
लाभ पेआउट अवधि	240 महीने                      180 महीने                      120 महीने
प्रीमियम के भुगतान के विकल्प	वार्षिक, अर्द्धवार्षिक, मासिक एवं पीएसपी मोड

\*\*अंतिम जन्मदिन के समय आयु



पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय का पता : यूनिट नं. 701, 702 एवं 703, सातवीं मंजिल, वेस्ट विंग, रहेजा टावर्स, 26/27, एम जी रोड, बंगलुरु-560001, कर्नाटक, कॉल करें टोल फ्री नंबर 1-800-425-6969 आईआरडीए ऑफ इंडिया, पंजीकरण संख्या 117, CI नंबर: U66010KA2001PLC028883 दूरभाष: 080-66006969, वेबसाइट: www.pnbmetlife.com, ई-मेल : indiaservice@pnbmetlife.co.in या हमें इस पते पर लिखें : पहली मंजिल, टेकनीप्लेक्स – 1, टेकनीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स, वीर सावरकर फ्लाइओवर के सामने, गोरगाँव (पश्चिम), मुंबई-400062, प्रोडक्ट UIN: 117N086V02. पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड मेटलाइफ इंक. से संबद्ध कम्पनी है। "PNB", "PNB", और "मेटलाइफ" निशान क्रमशः पंजाब नेशनल बैंक और मेट्रोपॉलिटन लाइफ इश्योरेंस कम्पनी के ट्रेड मार्क हैं। पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड इन निशानों का उपयोग प्राप्त लाइसेंस के तहत करती है। नियम और शर्तें लागू। अग्रिम प्राप्त होने पर भी प्रीमियम का समायोजन देय तिथि पर ही किया जाएगा। अगर एक वित्तीय वर्ष में देय प्रीमियम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अग्रिम में जमा किया जाता है "और" तो बीमाप्रदाता उसे प्रीमियम की देय तिथि से अधिकतम तीन पहले अग्रिम में उसे जमा कर सकता है। ##कर लाभ आय कर अधिनियम, 1961 के अनुसार है और ये समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अधीन हैं। कृपया अधिक विवरणों के लिए अपने कर सलाहकार से संपर्क करें। जोखिम के कारकों, नियमों एवं शर्तों के बारे में अधिक विवरणों के लिए कृपया कोई भी खरीदारी करने से पहले सेल्स ब्रोशर को सावधानीपूर्वक पढ़ें। LD/2016-17/107, EC100.

"झूठे फोन कॉल और फर्जी/घोखाधड़ी भरे ऑफर से सावधान रहें"

आईआरडीए ऑफ इंडिया सर्वसाधारण को सूचित करता है कि

- आईआरडीए ऑफ इंडिया या इसके अधिकारी किसी प्रकार के बीमा उत्पादों या वित्तीय उत्पादों और न ही प्रीमियम निवेश करने का काम नहीं करते
- आईआरडीए ऑफ इंडिया किसी बोनस की घोषणा नहीं करता है। सर्व साधारण से आग्रह है कि ऐसे फोन कॉल के विवरण और फोन नंबर के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करें।